IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

नागरिकता संशोधन कानून 2019 तथ्य एवं वास्तविकता

डॉ.बिसनाथ कुमार (राजनीति विज्ञान)

प्रस्तावना :–

पिछले कई दशकों का अध्ययन करें तो पता चलता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों का दमन हो रहा है। धार्मिक आधार पर भेदभाव पूर्ण व्यवहार एक अत्यंत शर्मनाक घटना है, जिसकी किसी भी राष्ट्र में मौजूदगी वहाँ की मानवीय मूल्यों के पतन को दर्शाती है। पाकिस्तान के एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र "द डॉन" ने 20 मार्च, 2015 को प्रकाशित अपने एक लेख में बताया है कि पिछले साल पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन के 265 मामले सामने आने से स्पष्ट होता है कि यहां हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई धर्मों के अल्पसंख्यक लोग अपनी सुरक्षा और बेहतर जीवन के लिए भारत में शरण लेते हैं। धार्मिक कट्टरता, चरमपंथ और आतंकवाद के चलते बांग्लादेश और अफगानिस्तान में भी अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार की समान खबरें सामने आती रहती हैं। दरअसल यह तीनों देश धार्मिक कट्टरता, चरमपंथ और आतंकवाद से ग्रसित हैं। भारत के पड़ोसी देशों पर जब इस प्रकार की अमानवीय घटनाएं होती हैं तो स्वाभाविक है कि इसकी प्रतिक्रिया भी भारत में देखने को मिलता है। यूपीए सरकार ने 2014 में आधिकारिक रूप से बताया, "वर्ष 2013 में 1,11,754 पाकिस्तान नागरिक वीजा लेकर भारत आए थे, लेकिन बड़ी संख्या में हिंदू और सिख समुदाय के लोग वीजा की अवधि समाप्त होने पर भी भारत में रह रहे हैं।" इस घटना से स्पष्ट पता चलता है कि पाकिस्तान अल्पसंख्यक धार्मिक कट्टरता, चरमपंथ की चलते वापस जाना नहीं चाहते। इस मामले को संज्ञान में लाते हुए मोदी सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह मामला मानवाधिकारों से जुड़ा है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी और उसके मंत्रिमंडल ने यह तय किया था कि इन तीन देशों के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भारत सरकार को सुनिश्चित करनी होगी। इसी परिप्रेक्ष्य में मोदी सरकार द्वारा "नागरिकता संशोधन कानून 2019" लाया गया जिसे भारत की संसद द्वारा 11 दिसंबर, 2019 को पारित किया गया। इसने 2014 तक भारत में पहुंचे इस्लामिक देशों (पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान) से धार्मिक अल्पसंख्यकों के सताए गए शरणार्थियों के लिए भारतीय नागरिकता हेतु त्वरित मार्ग प्रदान करके नागरिकता अधिनियम 1955 में कुछ संशोधन किया गया।

महत्वपूर्ण शब्द :–

नागरिकता संशोधन कानून 2019, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पादरी, बौद्ध, जैन, संविधान, संसद, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, शरणार्थी, विस्थापन।

विषय प्रवेश :–

भारत में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 को नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करने के लिए लाया गया, जिसे देश की संसद ने 11 दिसंबर 2019 को पारित किया और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के पश्चात् यह अधिनियम बन गया। भारतीय नागरिकता कानून 1955 में अब तक 6 बार (1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019) संशोधन हो चुका है। सीएए का उद्देश्य धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने वाले व्यक्तियों की रक्षा करना है। इस कानून में अफगानिस्तान, बांग्लादेश व पाकिस्तान से आए गैर–मुस्लिमों के लिए नागरिकता के नियम को आसान बनाया गया है। नागरिकता हासिल करने की अवधि को 1 साल से लेकर 6 साल किया गया है। सीएए कानून के पारित होने से भारत में बड़े पैमाने पर इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन खासकर असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिले। असम के लोगों का तर्क है कि शरणार्थियों एवं अप्रवासियों को इस कानून के तहत भारतीय नागरिकता देने से उनके राजनीतिक अधिकार संस्कृति और भूमि अधिकार का नुकसान होगा। केंद्र सरकार असम में नेशनल सिटीजन रजिस्टर भी लाई थी, जिसका मकसद यहां रह रहे घुसपैठियों की पहचान करना था। नागरिकता संशोधन बिल 2019 को लेकर भ्रामक सूचनाओं फैलाई गई। तथ्यों से पूरे मुस्लिम समुदाय को असंकित करने और डरने वाली सामग्री से सोशल मीडिया को पाट दिया गया। तमाम विपक्षी दल अराजक तत्वों के समर्थन में खड़े नजर आए वहीं किसी ने भी इस हिंसा व अराजकता की निंदा नहीं की।

ऐतिहासिक परिदृश्य :–

भारत की स्वतंत्रता के समय से ही कांग्रेस देश की शासन व्यवस्था का स्वाभाविक उत्तराधिकारी के रूप में उभर कर सामने आयी। इसी के बल पर वह देश के भविष्य से जुड़े सभी महत्वपूर्ण फैसला ले रही थी। द्विराष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण फैसले भी इसमें शामिल था। राम मनोहर लोहिया जैसे दिग्गज नेता तो भारत, पाकिस्तान व बांग्लादेश को एक साजा व्यवस्था में लाने हेतु अंत तक वकालत करते रहे। अंततः भारत को पाकिस्तान एक कड़वी सच्चाई के रूप में स्वीकार करना पड़ा। विभाजन की त्रासदी हिंसा और रक्तपात को साथ लेकर आयी। लाखों लोगों को हिंसा और विस्थापन का सामना करना पड़ा। इस त्रासदी को लेकर पटेल जैसे यथार्थवादी नेता तो पहले से ही आशंका व्यक्त कर रहे थे, वही गांधी जी भी सा"ंकित थे। आंकड़ों की बात करें तो विभाजन के समय पाकिस्तान में हिंदू, बौद्ध, सिख, और जैन समुदाय वहाँ की तात्कालिक कुल आबादी का 23% थे, जो 72 वर्ष के पश्चात् यह संख्या घटकर 2% रह गए। विभाजन के पश्चात् धार्मिक कट्टरता चरमपंथी के कारण देश में बड़ी संख्या में पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी बनकर आए जिन्हें तत्कालिक सरकार ने उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में बसाया। भारत ने शुरू से ही हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी शरणार्थियों के प्रति अपना उदार दृष्टिकोण रखते हुए नागरिकता देने की नीति सदा से ही अपनाई।

वर्ष 2003 में वाजपेयी सरकार ने पहली बार इसे संज्ञान में लाते हुए कानूनी रूप दिया और स्पष्ट किया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो हिंदू शरणार्थी आएंगे उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। वर्ष 2004 और 2005 में कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार ने संसद में इस बिल को फिर से पारित करके इसकी समयावधि एक–एक वर्ष के लिए दो बार बढ़ाई। मोदी सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 में इसके दायरे को बढ़ाते हुए हिंदुओं के साथ–साथ बौद्ध, सिख, पारसी, जैन और ईसाई समुदाय को भी इस कानून के तहत नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया।

प्रमुख धार्मिक समूहों की जनसंख्या प्रवृत्तियाँ भारत में वर्ष - 1951-2011

(in %)

धार्मिक समूह	जनसंख्या						
	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011
हिंदू	84.10	83.45	82.73	82.30	81.53	80.46	78.35
मुस्लिम	9.80	10.69	11.21	11.75	12.61	13.43	14.20
ईसाई	2.00	2.44	2.60	2.44	2.32	2.34	2.34
सिख	1.89	1.79	1.89	1.92	1.94	1.87	1.87
बौद्ध	0.74	0,74	0.70	0.70	0.77	0.77	0.77
जैन	0.46	0.46	0.48	0.47	0.40	0.41	0.41
पारसी	0.13	0.09	0.09	0.09	0.08	0.06	0.06
एनिमिस्ट, अन्य	0.43	0.43	0.41	0.42	0.44	0.72	0.72

स्रोत: सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना, वर्ष 2011

तालिका क्रमांक -01

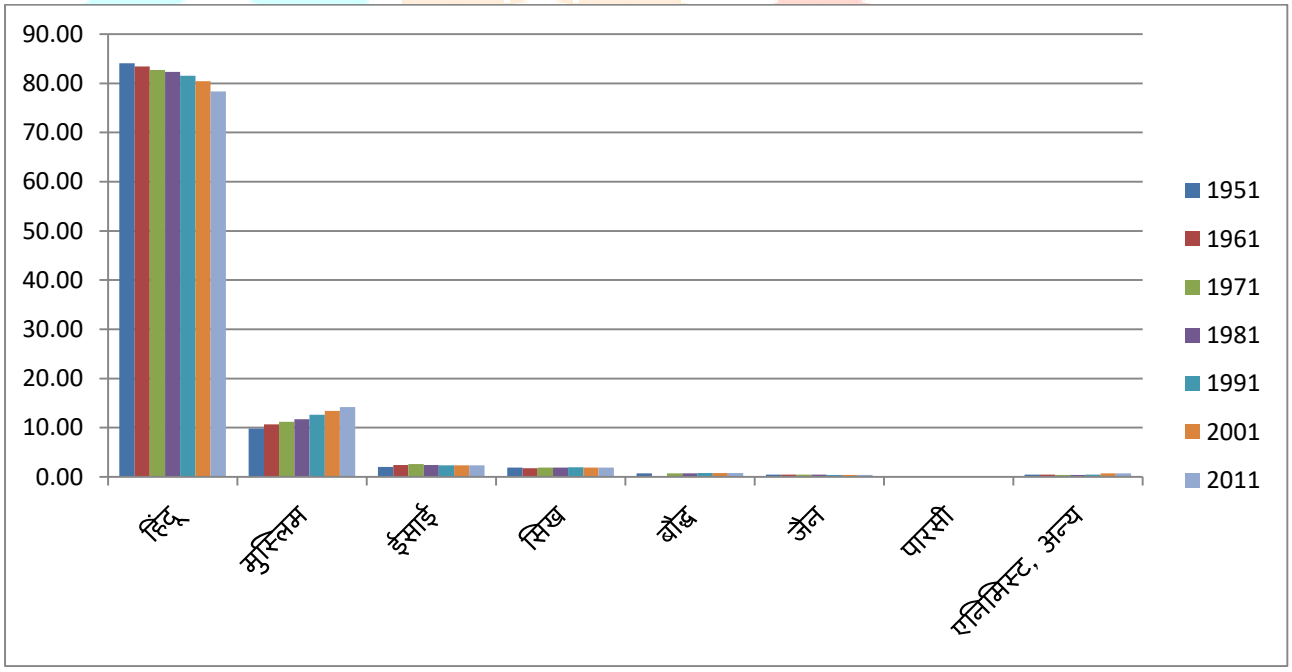

शोध की परिकल्पना :–

1. नागरिकता संशोधन कानून 2019 पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करता है।

2. भारतीय मुसलमानों के विरुद्ध इस कानून को लेकर जो भ्रांतियां फैलाई गई है, वह मिथक साबित होगा।

अध्ययन पद्धति :–

किसी भी शोध में तथ्यों के संकलन के बिना अनुसंधान कार्य का आगे बढ़ना संभव नहीं है। सभी प्रकार के शोध अनुसंधानों में प्रायः तथ्यों के संकलन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया जाता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में द्वितीयक स्रोतों के अंतर्गत विषय से संबंधित प्रकाशित पत्र–पत्रिकाएं, पुस्तकें, लेख, शोधग्रंथ, डायरी, पत्रों की रिपोर्ट, क्षेत्रीय समाचार, वेबसाईट से प्राप्त जानकारी इत्यादि माध्यमों से तथ्यों का संकलन एवं अवलोकन करना सम्मिलित है।

नागरिकता (संशोधन) कानून 2019 :–

संसद के दोनों सदनों में यह विधेयक संवैधानिक, लोकतांत्रिक और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से पारित हुआ, जिसका घटनाक्रम इस प्रकार हैं :–

- यह विधेयक देश के गृह मंत्री द्वारा 9 दिसंबर, 2019 को लोकसभा में पेश किया। इस दौरान सदन में उपस्थित सभी दलों के सदस्यों ने अपने विचार रखें। इस विधेयक के पक्ष में 311 और विरोध में 80 वोट पड़े। अतः यह विधेयक लोकसभा में बहुमत से पारित हो गया।
- विधेयक को लोकसभा से पारित होने के पश्चात् 11 दिसंबर, 2019 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इस विधेयक को राज्यसभा के समक्ष रखा गया। यहा सदन में उपस्थित सभी दलों की 44 सदस्यों ने अपना मत रखा। इस विधेयक के पक्ष में 125 और विरोध में 105 वोट मिले। अतः इस सदन में भी यह विधेयक बहुमत से पारित हो गया।
- तत्कालिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 दिसंबर, 2019 को इस विधेयक पर हस्ताक्षर करते ही यह विधेयक **"नागरिकता संशोधन कानून 2019"** बन गया।

नागरिकता संशोधन कानून 2019 के मुख्य अंश :–

यह कानून सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए हैं। इससे भारतीय नागरिकों के नागरिकता पर किसी भी प्रकार का असर नहीं होगा।

- इस कानून का संबंध पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान कर ऐसे व्यक्तियों को अवैध विस्थापित नहीं मानेगी।
- उपरोक्त धर्म के अल्पसंख्यक जो 31 दिसंबर, 2014 तक अथवा उससे पूर्व भारत आ चुके हैं तो वह भारतीय नागरिक पाने के पात्र होंगे।
- इस कानून के प्रावधान मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड पर लागू नहीं होंगे। यह राज्य इनर लाइन परमिट (ILP) के दायरे में आते हैं।
- इस कानून में भारतीय नागरिकता प्रदान करने हेतु 11 वर्ष तक भारत में रहने की बाध्यता को समाप्त करते हुए इसे घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है।
- इस कानून के प्रावधान छठवीं अनुसूची वाले क्षेत्रों (असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा) पर भी लागू नहीं होगा।

विवाद और कानूनो बहस :–

इस कानून के औचित्य में आते ही भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकता संशोधन अधिनियम की वैद्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बोझ तले दब गया है, जिससे कानूनी लड़ाईयों का एक जटिल परिदृश्य उभर कर सामने आया। सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन विशेष रूप से दिल्ली के शाहीन बाग प्रदर्शन ने राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया था। इस अधिनियम के विरोधियों का मानना है कि यह भारत को एक हिंदू बहुसंख्यक राज्य बनाने के एक सुनियोजित कदमों में से एक हैं। कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस (CRS) की एक रिपोर्ट में उल्लेख है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम क्रियान्वयन एक मुस्लिम विरोधी एजेंडा है और यह "अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों और दायित्वों" का उल्लंघन करता है। आलोचकों का तर्क हैं कि यह अधिनियम धर्म के आधार पर भेदभाव करता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन करता है। इसके अलावा यह गैर– मुस्लिम अवैध प्रवासियों को नागरिकता के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाएगा।

इन आलोचनाओं के जवाब में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा स्पष्टीकरण एवं आश्वासन दिया गया है। यह विधेयक कभी संसद में ना आता, अगर भारत का बटवारा न हुआ होता। बटवारे के परिणामस्वरूप जो परिस्थितियाँ उभर कर सामने आयी उनके समाधन के लिए यह बिल आवश्यक है।

- नेहरू–लियाकत समझौते के तहत दोनों पक्षों ने स्वीकृति दी कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों को बहुसंख्यक की तरह समान व्यवहार किया जाएगा लेकिन पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय पर भेदभाव पूर्ण व्यवहार और अधिक बढ़ गया। जिससे भारत में विस्थापितों की संख्या निरंतर बढ़ती चली गई इसके संरक्षण हेतु यह कानून आवश्यक था।
- विपक्ष का ध्यान केवल इस बात पर है कि मुस्लिम समुदाय को इस कानून में क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं? इस पर अमित शाह ने कहा कि हमारी पंथनिरपेक्षता किसी एक धर्म पर आधारित नहीं है। इस कानून पर उनके लिए व्यवस्था की गई है जो पड़ोसी देशों में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किया जा रहे हैं।
- इस कानून से भारतीय नागरिकों को डरने की जरूरत नहीं क्योंकि इस बिल में किसी की नागरिकता छिनी नहीं जा रही हैं।
- अनुच्छेद 14 में जो समानता का अधिकार है, वह ऐसे कानून बनने से नहीं रोकता जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर हैं।
- इस बिल में भारत में निवास करने वाले मुसलमानों का कोई अधिकार नहीं जाता है। इस बिल से भारत के मुसलमानों का नागरिकता से कोई संबंध नहीं है।

पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की आबादी :–

संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश विभाग ने वर्ष 2007 में अफगानिस्तान पर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट में बताया गया है कि यह मुश्किल से 3,000 हिंदू और सिख रहते हैं। तालिबान शासन और गृह युद्ध के बाद बदले हालात देखे तो अधिकांश अल्पसंख्यक लोग पलायन कर चुके हैं। अब इनकी कुल जनसंख्या में हिस्सेदारी एक प्रतिशत से भी कम है वर्षों के संघर्ष में लगभग 50,000 हिंदू और सिख समुदाय दूसरे देशों में शरण लेने हेतु विवश हो गए हैं। विभाजन के समय पाकिस्तान में हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन

समुदाय वहाँ की तत्कालिक कुल आबादी का 23 प्रतिशत थे जो 72 वर्ष के बाद यह संख्या घटकर 2 प्रतिशत रह गए हैं।

इसी तरह बांग्लादेश (1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान) में हिंदू और बौद्ध अनुयायियों की संख्या 1947 में वहाँ की कुल जनसंख्या का 30% थी। जो अब घटकर इसकी संख्या 8% से भी कम है। इन सभी आंकड़ों का गहन अध्ययन करने से यह तथ्य प्रकाश में आता है कि इन देशों के अल्पसंख्यकों पर लगातार भेदभाव पूर्ण व्यवहार होता आया है। ऐसे में "नागरिकता (संशोधन) कानून 2019" पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, व पादरी समुदाय के लोगों को नागरिकता प्रदान करने हेतु अधिकार देता है।

नागरिकता संशोधन कानून 2019 के सुझाव :–

1. सरकार नागरिकता के संबंध में धार्मिक मानदंड को हटाने के लिए सीएए की समीक्षा और संशोधन पर विचार कर सकती है। इससे भेदभाव संबंधी चिताओं का समाधान होने के साथ–साथ धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को कायम रखा जा सकेगा।
2. विभिन्न धार्मिक एवं सामुदायिक नेताओं, नागरिक समाज, संगठनों एवं विधि विशेषज्ञों सहित हितधारकों के साथ सार्थक परामर्श व सकारात्मक संवाद में संलग्न रहने की आवश्यकता है। इस प्रकार एक समावेशी दृष्टिकोण आम सहमति और समाज के सभी समुदायों की चिताओं को दूर करने में सहायता कर सकता है।
3. सीएए की दिशा में सकारात्मक पहल हेतु सरकार को ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करना चाहिए जो भारत की धार्मिक विविधता और बहुलवाद का समर्थन कर उनकी रक्षा करें।
4. किसी भी नए कानूनों या संशोधन से सभी व्यक्तियों के लिये कानून के समक्ष समता सुनिश्चित होनी चाहिये। इस संवैधानिक प्रावधानों के साथ सीएए के अंतर्गत समानता भी सुनिश्चित करना है।
5. सीएए से संबंधित किसी भी विसंगति या संघर्ष को वैधानिक तंत्र और पारदर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से हल किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष :–

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 का मुख्य निष्कर्ष यह निकलता है कि यह अधिनियम तीन पड़ोसी देशों (पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पादरी और ईसाई धर्म की अवैध प्रवासियों को वैधानिक तरीके के तहत भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है। जो 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत में आकर बसे थे और धार्मिक उत्पीड़न के चलते अपने देश से भागकर भारत में बस गए थे। दूसरा पहलू यह सामने आता है कि जिस तरह से इस बिल को लेकर लेकर भारतीय मुसलमान और उत्तर पूर्वी राज्यों में विभिन्न संगठनों व राजनीतिक दलों द्वारा अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने हेतु कुप्रचार के माध्यम से अराजकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा था जो वास्तव में सही नहीं था। सी.ए.ए. उन उत्पीड़ित लोगों के लिए उम्मीद की किरण हो सकता है, जो मानते हैं कि इस दुनिया में उनके लिए कोई और जगह नहीं है जो उन्हें स्वीकार करें और आश्रय प्रदान करें।

संदभ ग्रंथ सूची :–

1. भटनागर आशुतोष , खण्डेलवाल, देवेश (जनवरी 2020), विमर्श प्रकाशन, रानी झांसी मार्ग, झण्डेवाला, नई दिल्ली
2. "नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 की अधिसूचना" (पीडीएफ), भारत का राजपत्र, 10 जनवरी 2020, मूल (पीडीएफ) से 24 फरवरी 2021 को पुरालेखित, 19 अप्रैल 2020 को पुनः प्राप्त.
3. आचार्य अशोक (2012) : सिटीजनसिप इन ए ग्लोब लाईजिंग
4. एस. कश्यप (2004) : हमारा संविधान और संवैधानिक विधि
5. अम्बेडकर, बी.आर (2020) : पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजनः बाबा साहेब अम्बेडकर के संदर्भ में
6. लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह का बयान
7. लीजोनाथन (2018) : अफगानिस्तान ए हिस्ट्री फोर्म 1260 टू दी प्रजेन्ट
8. गुहा, ए. (2024)। नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 59 (18)
9. भौमिक, ए. (2024, 16मार्च)। सीएए : कानूनी मुद्दे और न्यायिक कार्यवाही की स्थिति।
10. भट, एमएमए (2019ए)।, नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ संवैधानिक मामला, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली
11. दीपक, जेएस (2020, 4 जनवरी)। अनुच्छेद 14 : एक दोषपूर्ण तर्क – ओपन द मैगजीन
12. https://en.wikipedia.org/wiki/Citizenship_(Amendment)_Act,_2019
13. https://www.drishtiias.com/hindi/paper2/citizenship-amendment-act-2019
14. https://www.bbc.com/news/world-asia-india-50670393
15. https://byjus.com/free-ias-prep/citizenship-amendment-bill-2019/